न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 37/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 08.08.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/246

प्रार्थीगण

1. हीरासिंह पुत्र श्री जालमसिंह, उम्र—वयस्क, जाति—रावत,
2. रणवीर पुत्र श्री हीरासिंह, उम्र—वयस्क, जाति—रावत,
3. मीठालाल पुत्र श्री गंगाराम, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
4. बाबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
5. मोहनलाल पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
6. प्रवीण पुत्र श्री चम्पालाल, उम्र—वयस्क, जाति—रावत,
7. धनश्याम पुत्र श्री भुरालाल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
8. मदनलाल पुत्र श्री शेषमल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
9. शिवलाल दतक पुत्र श्री रूगालाल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
10. नरेन्द्र पुत्र श्री भुराराम, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
11. प्रकाश पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र—वयस्क, जाति—मेवाडा,
12. दीपाराम पुत्र श्री शांन्तिलाल, उम्र—वयस्क, जाति मेवाडा, निवासीगण—काणुजा, तहसील रायपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली राज.
2. गणपतसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
3. राजुसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
4. बिदामी पत्नि श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
5. कंकु पुत्री श्री चतरसिंह, उम्र—वयस्क,
6. देवीबाई पुत्री श्री चतरसिंह, उम्र—वयस्क,
7. कमलादेवी पुत्री श्री चतरसिंह, उम्र—वयस्क,
8. गुमानसिंह पुत्र श्री चतरसिंह, उम्र—वयस्क,
9. बाबुसिंह पुत्र श्री चतरसिंह, उम्र—वयस्क,
10. गोविन्दसिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र—वयस्क,
11 मिठुसिंह पुत्र श्री हिरा, फौत होने से उनके कायम मुकामः—
    11.1 सुजान सिंह पुत्र श्री मिठुसिंह, उम्र—वयस्क,
    11.2 सोहनसिंह पुत्र श्री मिठुसिंह, उम्र—वयस्क,
    11.3 सोनीदेवी पुत्री श्री मिठुसिंह, उम्र—वयस्क,
    11.4 मीरा पुत्री श्री मिठुसिंह, उम्र—वयस्क समस्त अप्रार्थीगण जातियान रावत, निवासी—गण काणुजा तहसील रायपुर जिला पाली राज.

राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्वि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

निर्णय

दिनांक :– 07.11.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम काणुजा पटवार हल्का काणुजा भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2073–2076 जमाबन्दी 2077 के खाता सं. 417 खसरा सं. 722/7 रक्बा 3.6260 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 722/8 रक्बा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बाडा अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि का पुर्व मे राजस्व लट्टे नक्शे मे तरमीन नही थी। करीब दो वर्ष पुर्व वन टु वन मेपिंग स्कीम राजस्व नक्शे को आनलाईन करने हेतु डी आर एल एम पी स्कीम राजस्थान सरकार ने चलाई जिसमे उक्त विवादित भुमि की राजस्व लट्टे नक्शे एवं राजस्व आनलाईन नक्शे मे तरमीन की गई थी। उक्त तरमीन अप्रार्थीगण सं. 2 से लगायत 11 एवं तत्कालीन हल्का पटवारी ने मिलकर प्रार्थीगण के करीब 50–60 वर्षो पुर्व कब्जे के स्थान पर कर दी वर्तमान तरमीन के स्थान पर प्रार्थीगण के मकान व बाडे बनाये हुए। कुछ मकान तो 50 वर्ष पुर्व कुछ 30 वर्ष पुर्व एवं कुछ मकान 12 वर्ष एवं बाडे करीब 50 वर्ष पुर्व मे बनाये हुए है एवं प्रार्थीगण के कब्जे है जिन पर प्रार्थीगण ने लाईट कनेक्शन ले रखे है जो करीब 20 वर्ष पुराने है। उक्त तरमीन के स्थान पर प्रार्थीगण के आवास योजना के तहत मकान बने हुए है। एवं अन्य राजकीय सहायता भी उक्त स्थान को लेकर प्राप्त की हुई है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने अप्रार्थीगण से मिलकर भारी रिश्वत राशि प्राप्त कर बिना मौके देखे प्रार्थीगण के कब्जाशुदा स्थान पर तरमीन कर दी है। जो सरासर गलत है। एवं प्रार्थीगण को आर्थिक, मानसिक नुकसान पहूचाने वाली है। इसलिए विवादित भुमि की वर्तमान तरमीन को खारीज करते हुए अप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीन करने का आदेश प्रदान कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करने डी आर एल एम पी के तहत तत्कालीन हल्का पटवारी ने उक्त भुमि कि तरमीन बिना मौके पर गये बिना मौके देखे, डी आर एल एम पी मे राजस्व नक्शे आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें बिना पुर्व राजस्व नक्शे का मिलान करते हुए अपनी मन मर्जी से भारी रिश्वत राशि प्राप्त कर गलत स्थान पर तरमीन कर दी है जबकि मौके पर प्रार्थीगण के मकान एवं बाडै बने हुए है जो करीब 50 वर्ष पुराने 12 वर्षपुराने है मौके पर प्रार्थीगण के बाडे बने हुए है। जिस स्थान पर अप्रार्थीगण के खातेदारी तरमीन कर दी है जिससे अप्रार्थीगण प्राथीगण को कब्जे से बेदखल करने हेतु उतारू है। जिससे प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीगण को भारी आर्थीक मानसिक नुकसान

उपखण्ड अधिकारी

होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को पत्थरगड्डी के नोटिस देने पर प्रार्थीगण को उक्त तथ्यो कि जानकारी हुई कि खसरा सं. 722/7 व 722/8 की राजस्व नक्शे मे तरमीन प्रार्थीगण के कब्जे एवं मकान बने हुए स्थान पर की गई तब प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई उक्त गलत तरमीन की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि खसरा सं. 722/7 व 722/8 की राजस्व नक्शे मे तरमीन को सुधारा जावें हल्का पटवारी ने राजस्व न्यायलय से जाकर तरमीन शुद्वी करवाकर लाने का कहने तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने एवं उन्होने पुराने दस्तावेज लाने का कहने पर उन्होने पुराने लाईट बिल राजकिय सहायता प्राप्त के कागज निकलवाने खसरा सं. 722/7 व 722/8 के आवंटन के दस्तावेज मे समय लग जाने से आज दिंनाक मे उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विवादित भुमि की तरमीन गलत स्थान पर होने से अप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्व की जाने हेतु उक्त तरमीन संसोधन के प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दु पर है इसलिए उस पर म्याद कानुन लागु नही होता है। प्रार्थीगण वर्षो से अपने अपने कब्जे अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक–टोक के करते आ रही है, प्रार्थीगण के पुराने मकानात बने हुए है एवं पुराने बाडे बने हुए है अप्रार्थीगण को कभी भी उक्त भुमि पर कब्जा काश्त नही रहा है उक्त भुमि उबड खाबड एवं बंजर है। अगर वर्तमान राजस्व नक्शे मे उक्त भुमि प्रार्थीगण के हक हिस्से मे गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थीगण को बिना मतलब की परेशानी का सामना करना पड सकता है प्रार्थीगण को भारी नुकसान होने की पुर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थीगण अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र मौका कब्जा की जाॅच कर मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रही है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम काणुजा पटवार हल्का काणुजा भु. अभि. निरी. काणुजा के खसरा नं. 722/7 एवं 722/8 की मौके अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन सही नही होने से एवं उक्त तरमीन के स्थान पर प्रार्थीगण के पुराने मकान बने होने से एवं पुराने बाडे बने होने, उन पर पुराने लाईट कनेक्शन होने से एवं करीब 50 वर्षो से ज्यादा कब्जा होने से विवाद कि स्थिति बनी हुई है इसलिए विवादित भुमि एवं खसरा नं. 722/7 एवं 722/8 की मौका कब्जा की जाॅच कर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे संसोधन तरमीन किया जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रार्थीगण को भाविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचा जा सके। एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 11 के नोटिस जरिये रजिस्टर्डएडी के द्वारा तामिल हुए हैं। तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि किया कि ग्राम काणुजा के खसरा नम्बर 722/7 एवं 722/8 की मौके अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीन सही नहीं होने से एवं उक्त तरमीन के स्थान पर प्रार्थीगण के पुराने मकान बने होने से एवु पुराने बाडे बने होने, उन पर पुराने लाईट कनेक्शन होने से एवं करीब 50 वर्षो से ज्यादा कब्जा होने से विवाद की स्थिति बनी हुई हैं इसलिए खसरा नम्बर 722/7 एवं 722/8 की मौका कब्जा की जांच कर मौके पर कब्जे अनुसार तथा प्रार्थीगण के कब्जा सुदा भूमि को छोडते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में संसोधन किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि सरहद मौजा काणुजा पटवार हल्का काणुजा के खसरा नम्बर 722/7 एवं 722/8 के अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार सही नहीं हैं वर्तमान में जहां तरमीन हैं वहां प्रार्थीगण के पुराने आवासीय मकान एवं बाडे बने हुए हैं इसलिए वर्तमान राजस्व नक्शे की तरमीन खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा काणुजा पटवार हल्का काणुजा के खसरा नम्बर 722/7 एवं 722/8 की वर्तमान राजस्व नक्शे की तरमीन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त तरमीन उपयुक्त स्थान/सही स्थान अप्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त के स्थान पर पुनः तरमीन किया जावें। पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)